भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

R 20000 ₹ INDIA NON JUDICIAL R 20000 ₹

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

299641

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि - रु0 6,84,684/

बाजारू मूल्य - रु0 2,31,000/-

अदा किये गये जनरल स्टैम्प रु0 68,500/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - लखनऊ
3. ग्राम - अहमामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 780 रकबा

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000 रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 299642

-2-

0.132 हे0 का पूर्ण भाग स्थित ग्राम- अहमामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ।

5.	मानक की ईकाई	-	हेक्टेयर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.132 हेक्टेयर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार		कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	-	नहीं
10.	बोरिंग/ कुआं अन्य	-	कुछ भी नहीं है ।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 299643

चौहद्दी खसरा नं0 780

उत्तर : चकरोड

दक्षिण : ग्राम सीमा मुज़फ्फरनगर

पूरब : खसरा संख्या-779

पश्चिम : खसरा संख्या-783

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
हीरालाल पुत्र रामदीन निवासी -आलमपुर, परगना तहसील व जिला लखनऊ।	धर्मेन्द्र पुत्र जयराम कोरी निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौबेव, तहसील व जिला फतेहपुर।

(5)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 876323

व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख हीरालाल पुत्र रामदीन निवासी -अहमामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् धर्मेन्द्र पुत्र जयराम कोरी निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो० नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

हीरालाल धर्मेन्द्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 195378

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 700 रकबा 0.132 हे0 का पूर्ण भाग स्थित ग्राम- अहमामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित पंचवार्षिक खतौनी खाता संख्या 00465 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों मे हो गया है। विक्रेता को पैसों की सख्त आवश्यकता है इसलिये वह अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरकार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 198379

भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेवार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 198380

है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या हिस्सा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 6,84,694/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ✓A 313538

गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को मय मजूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ तुनगाया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करें। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा

नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी उलझन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादनगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या दखल से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादनगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की जात, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्बन/नगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 17,50,000/- प्रति हैक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.132 हैक्टेयर की कुल मालियत 2,31,000/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 68,500/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है न कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के आसपास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विलेख विशेष के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 6,84,584/- द्वारा चेक संख्या- [illegible] दिनांक 05.08.2007 पंजाब नैशनल बैंक, [illegible] लखनऊ से क्रेता को प्राप्त हुए।

विक्रय पत्र

[illegible]	[illegible]	5,000.00	20	2,020.00	1,000

फ़ीस [illegible] नकल फ़ीस [illegible] योग [illegible] पृष्ठ [illegible] लगभग [illegible]

श्री / श्रीमती [illegible]

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी स्थायी [illegible] लखनऊ

अस्थायी पता

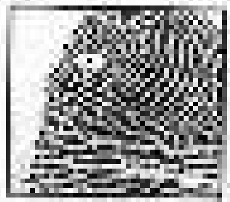

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 7/8/2007 समय 4:15PM

को निबंधन हेतु पेश किया।

एस.एस.पाल

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

7/8/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. [illegible] प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible] लखनऊ

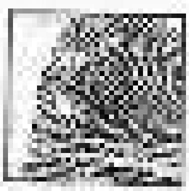

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible] लखनऊ

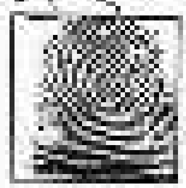

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार मिश्रा

पुत्र श्री [illegible] मिश्रा

पेशा व्यापार

निवासी 2998, [illegible] लखनऊ

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible] लखनऊ

ने की।

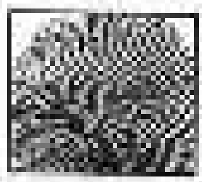

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एस.एस.पाल

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

7/8/2007

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 6,84,684/- (रुपया छः लाख चौरासी हजार छः सौ चौरासी मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

विक्रेता

लखनऊ

दिनांक : 06.08.2007

<u>गवाह</u> :-क्रेता की पहचान की

1. [illegible]

2. विक्रेता की पहचान की

[illegible]

टाईपकर्ता

(मोनू कुमार)

सिविल कोर्ट लखनऊ

मसौदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)

एडवोकेट

[illegible]

Registration No: 1425 Year : 2001 Book No. 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

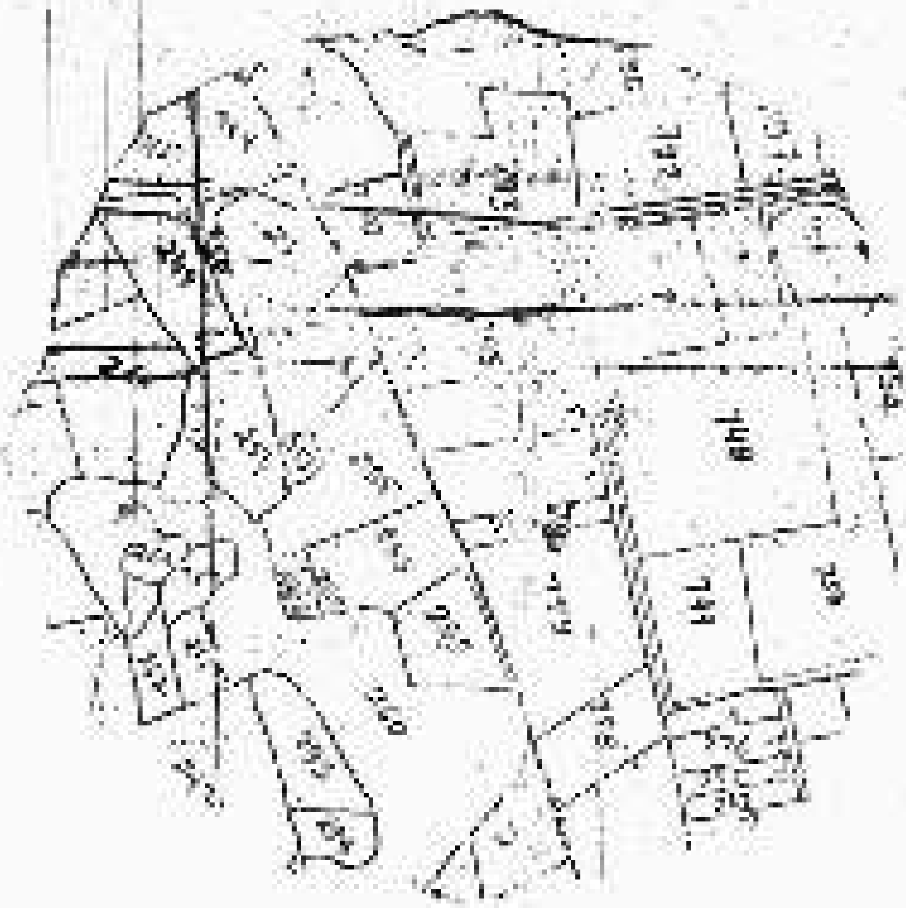

क्रेता

Registration No. 7426 Year : 2007 Book No. 1

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

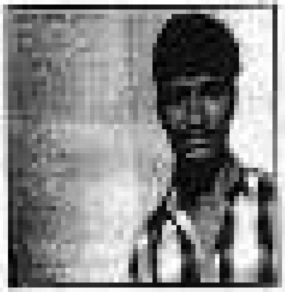

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

क्रेता/विक्रेता का नाम व पता .... हीरा आशा नि० खलमाबाद
.... सरायगढ़

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

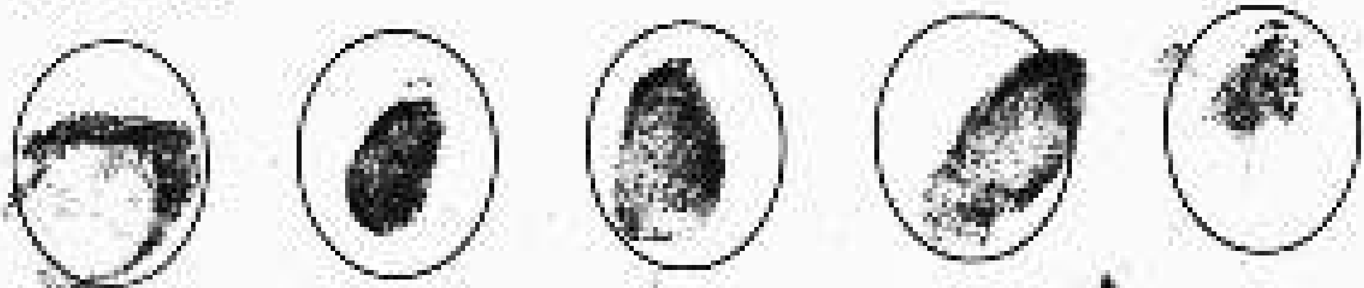

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

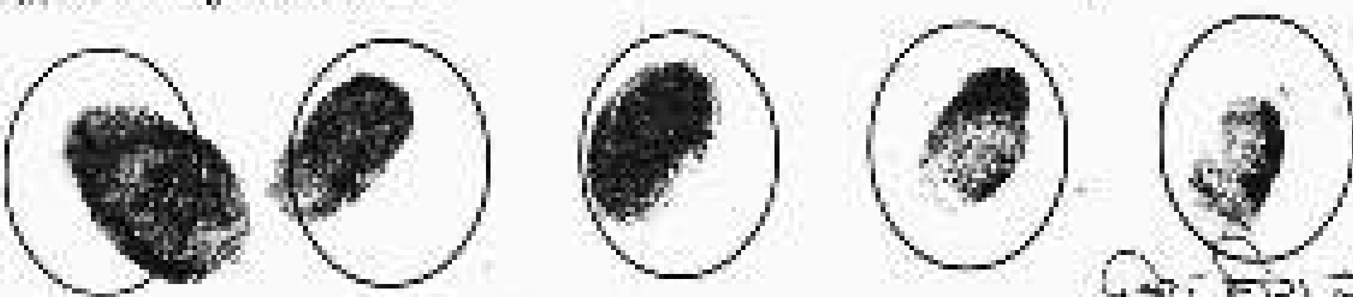

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता .... अमरू नि० बिलौपुर बिहारी
.... जि० फतेहपुर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक <u>07/08/2007</u> को

बही सं. <u>1</u> जिल्द सं. <u>6820</u>

पृष्ठ सं. <u>289</u> से <u>314</u> पर क्रमांक <u>7426</u>

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

एस.एस.पाल

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

[illegible]